G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भः आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/155/8/2023 दिनांकः 4 अगस्त, 2023
Ref: IRDAI/F&I/CIR/INV/155/08/2023 Date: 4th August, 2023

# परिपत्र
# CIRCULAR

**प्रति/To,**
**सभी बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता / All Insurers/Reinsurer**

**विषयः एचडीएफसी बैंक लि. के साथ विलय के बाद एचडीएफसी लि. में बीमाकर्ताओं के निवेशों के लिए छूट**
**Re: Relaxation for insurers' investments in HDFC Ltd. Post merger with HDFC Bank Ltd.**

एचडीएफसी बैंक लि. के साथ एचडीएफसी लि. के विलय को ध्यान में रखते हुए बीमाकर्ताओं ने आईआरडीएआई से निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया है:
In view of the merger of HDFC Ltd with HDFC Bank Ltd, insurers have requested IRDAI to:

i) एचडीएफसी लि. बांडों में निवेशों को आवास और बुनियादी क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत करना जारी रखने के लिए अनुमति देना;
allow investments in HDFC Ltd bonds to be continued to be classified under Housing and Infrastructure sector;

ii) एचडीएफसी बैंक लि. के ईक्विटी शेयरों में निवेशों के संबंध में यूलिप की अलग की गई निधियों हेतु निर्धारित एकल निवेशिती ईक्विटी एक्सपोज़र सीमाओँ को छूट देना (विलय के बाद)।
exempt the single investee equity exposure limits prescribed for segregated funds of ULIP with respect to investments in the equity shares of HDFC Bank Ltd (post-merger).

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि विलय की घोषणा की तारीख अर्थात् 4 अप्रैल, 2022 को बीमाकर्ताओं द्वारा श्रेणी "आवास और बुनियादी संरचना" के अंतर्गत एचडीएफसी लि. में धारित बांडों / डिबेंचरों को एचडीएफसी लि. के संबंधित बांडों की परिपक्वता तक उपर्युक्त श्रेणी में निवेशों के रूप में माना जाएगा।
In view of the above, it is hereby clarified that the bonds / debentures held by the insurers in the HDFC Ltd on the date of announcement of the merger i.e. 4th April, 2022 under the category "Housing and Infrastructure" shall be treated as investments in the said category till the maturity of the respective bonds of HDFC Ltd.



सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
: +91-40-20204000, वेबसाइट : www.irdai.gov.in
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-20204000, Website : www.irdai.gov.in

3. इसके अलावा, बीमाकर्ताओं को एचडीएफसी बैंक लि. (विलय के बाद) के शेयरों के संबंध में एसएफआईएन स्तर पर वैयक्तिक अलग की गई निधि के लिए आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 7(क) के साथ पठित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 9ख के अंतर्गत निर्धारित एकल निवेशिती ईक्विटी एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन करने से 30 जून, 2024 तक छूट दी गई है। उपर्युक्त छूट केवल 30.06.2023 की स्थिति के अनुसार संबंधित बीमाकर्ताओं की धारित राशियों के संबंध में होगी तथा उसके बाद इसे शेयरों की बिक्री की सीमा तक कम किया जाएगा। Further the insurers are exempted from complying with the single investee equity exposure norms prescribed under Regulation 9B of IRDAI (Investment) Regulations, 2016 read with Regulation 7(a) IRDAI (Investment) Regulations, 2016, for individual segregated fund at SFIN level with respect to shares of HDFC Bank Ltd (post-merger) till 30$^{th}$ June, 2024. The said exemption shall only be with respect to holdings of the respective insurers as on 30.06.2023 and the same shall be scaled down to the extent of sale of shares thereafter.

यह परिपत्र आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम, 17 के अधीन जारी किया जाता है।
This circular is issued under Regulation, 17 of IRDAI (Investment) Regulations, 2016.

**(अम्मु वेंकटरमण / Ammu Venkataramana)**
**महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) / GM (F&I)**